सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

माघ 04, मंगलवार, *शाके* 1944-जनवरी 24, 2023

Magha 04, Tuesday , Saka 1944- January 24, 2023

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 26, 2022

संख्या प.36(5)गृह-9/88 :- स्वापक औषधिक और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियमए 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-46) की धारा 9(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना संख्या प.36(5)गृह-9/88 दिनांक 26-10-2021 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा सलाहकार बोर्ड का गठन करती है और माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच-जयपुर को अध्यक्ष एवं निम्नलिखित माननीय न्यायाधिपतिगण को इस बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है:-

1.माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज भंडारी न्यायाधिपति,
राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच-जयपुर।

2.माननीय न्यायमूर्ति श्री इन्द्रजीत सिंह न्यायाधिपति,
राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच-जयपुर।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सीमा कुमार,

संयुक्त शासन सचिव, गृह विभाग।

Home (Gr. IX) Department

NOTIFICATION

Jaipur, December 26, 2022

No. F.36(5)Home-IX/88 .-In exercise of the powers conferred by Section 9(a) of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (Central Act 46 of 1988) and in supersession of this Department Notification No. F.36(5)Home-IX/88 dated 26.10.2021 the State Government hereby constitutes an Advisory Board and appoints Hon'ble Mr. Justice Manindra Mohan Shrivastava, Judge, Rajasthan High Court Bench, Jaipur as Chairperson and the following as members of the said Board :-

1. Hon'ble Mr. Justice Pankaj Bhandari, Judge,
   Rajasthan High Court Bench, Jaipur.
2. Hon'ble Mr. Justice Inderjeet Singh, Judge,
   Rajasthan High Court Bench, Jaipur.

By Order and in the name of the Governor,

Seema Kumar,

Joint Secretary, Home.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।